फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री शंकरलाल घांची पुत्र श्री लालाराम निवासी मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डार

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 11 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.01.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डार को एक आवेदन दिनांक 07.10.2025 को प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डार को एक आवेदन दिनांक 07.10.2025 को प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी नगरपालिका मण्डार से क्या सूचना मांगी गई थी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मूल आर.टी.आई. आवेदन इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त दस्तावेजों के अभाव में यह पता लगाना मुश्किल है कि अपीलांट लोक सूचना अधिकारी से क्या सूचना प्राप्त करना चाहता है तथा अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट कार्यालय में आवेदन किया भी है या नहीं। इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डार के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	